न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 75/2025
जीसीएमएस नं. :– 2025/151

प्रार्थीगण :– बनाम अप्रार्थीगण :–

1.अर्जुनराम पुत्र सुखाराम
2.बलदेवराम पुत्र उदाराम
जतियान जाट निवासी तिगरा तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर।

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाडशहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

दर्ज दिनांक :–21/4/2025

उपस्थित अधिवक्ता
1. बक्तावरसिंह जाखड़ प्रार्थीगण की ओर से
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 27/04/2025

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसका विवरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खेड़ी चारणा तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जासूद जमीन आयी हुई है जिसका विवरण निम्नप्रकार से है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
132	97	1.3263 हैक्टयर	बारानी
कुल खसरा 01 कुल रकबा 1.3263 हैक्टयर			

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
23	111	0.0081 हैक्टयर	बारानी
	408	1.9915 हैक्टयर	बारानी
	72	1.4699 हैक्टयर	बारानी
	95	1.3789 हैक्टयर	बारानी
	96	0.0385 हैक्टयर	बारानी
कुल खसरा 05 कुल रकबा 4.8869 हैक्टयर			

उक्त वर्णित आराजी की सबूत मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2081 संलग्न पेश है। ग्राम तिगरा तहसील पीपाडशहर जिल जोधपुर को राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जासूद जमीन आयी हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
4	24	0.6736 हैक्टयर	बारानी
	25	1.8561 हैक्टयर	बारानी
	7	4.5150 हैक्टयर	बारानी
कुल खसरा 03 कुल रकबा 7.0447 हैक्टयर			

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
11	6	1.2272 हैक्टयर	बारानी
कुल 01 कुल रकबा 1.2272 हैक्टयर			

उक्त वर्णित आराजी की सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2081 संलग्न पेश है। प्रार्थी संख्या एक का नाम अर्जुनराम पुत्र श्री सुखाराम है तथा आधार कार्ड में भी अर्जुनराम पुत्रश्री सुखाराम नाम दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या दो का नाम बलदेव राम पुत्रश्री उदाराम है तथा आधार कार्ड मे भी बलदेव राम पुत्रश्री उदाराम दर्ज है। ग्राम खेड़ी चारणा सरहद में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 97 रकबा 1.3263 हैक्टयर मे प्रार्थीगण का नाम अर्जुनराम पुत्रश्री सुखाराम व बलदेवराम पुत्र उदाराम सही दर्ज हो गये लेकिन खेड़ी चारणा सरहद में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 111, 408, 72, 95, 96 कुल खसरा 05 कुल रकबा 4.8869 हेक्टयर में प्रार्थीगण के नाम सेवन से त्रुटिवंश अजय पुत्र सुखाराम व बलाराम पुत्र उदाराम संयुक्त खातेदार के रूप मे दर्ज हो गये इसलिए प्रार्थीगण के सही नाम अजय के स्थान पर अर्जुनराम व बलाराम के स्थान पर बलदेवराम दुरुस्त करवाने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया इस पर अप्रार्थी ने उक्त दुरुस्ती श्रीमान न्यायालय हाजा से करवाने हेतु कहा इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना–पत्र रेकार्ड दुरुस्ती हेतु पेश करना पड़ रहा है। इसी प्रकार ग्राम तिगरा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 24, 25, 07 कुल खसरा 03 कुल रकबा 7.0447 तथा खसरा नम्बर 06 रकबा 1.2272 हेक्टयर में भी प्रार्थीगण के नाम सेवन से त्रुटिवंश अजय पुत्र सुखाराम व बलाराम पुत्र उदाराम संयुक्त खातेदार के रूप मे दर्ज हो गये जबकि प्रार्थीगण का सही नाम अजय के स्थान पर अर्जुनराम व बलाराम के स्थान पर बलदेवराम दुरुस्त करवाने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने उक्त दुरुस्ती श्रीमान न्यायालय हाजा से करवाने हेतु कहा इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना–पत्र रेकार्ड दुरुस्ती हेतु पेश करना पड़ रहा है। यह है कि प्रार्थीगण ने अपनी अपनी खातेदारी जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु हल्का पट्वारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने बताया कि प्रार्थीगण के नाम खेड़ी चारणा सरहद में स्थित खाता संख्या–132 ख०न० 97 रकबा 1.3263 हेक्टयर में अर्जुनराम पुत्र सुखाराम व बलदेवराम पुत्र उदाराम संयुक्त खातेदार के रूप मे दर्ज है लेकिन खेड़ी चारणा सरहद में स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 23 खसरा नम्बर 111, 408, 72, 95, 96 कुल खसरा 05 कुल रकबा 4.8869 तथा ग्राम तिगरा सरहद में स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 24, 25, 7 कुल खसरा 03 कुल रकबा 7.0447 हेक्टयर व तिगरा सरहद में स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 11 खसरा नम्बर 06 रकबा 1.2272 हेक्टयर में प्रार्थीगण के नाम गलत रूप से अर्जुनराम के स्थान पर अजय व बलदेवराम के स्थान पर बलाराम दर्ज हो गये इसलिए किसानक्रेडिट कार्ड नही बन सकता इस पर प्रार्थीगण ने दि. 05/03/2025 को राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी की नकले प्राप्त की इस पर जानकारी हुई तथा अपने अपने नाम दुरूस्त करवाने हेतु तहसीलदार पीपाडशहर से निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने श्रीमान न्यायालय हाजा से ही दुरुस्ती करवाने हेतु कहा। इसलिए प्रार्थीगण को रेकार्ड दुरुस्त करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र को पेश कर न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम खेडी चारणा की सरहद में स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 23 खसरा नम्बर 111, 408, 72, 95, 96 कुल खसरा 05 कुल रकबा 4.8869 हैक्टयर में प्रार्थीगण का नाम अजय पुत्र सुखाराम के स्थान पर दुरुस्त कर अर्जुनराम पुत्र सुखाराम व बलाराम पुत्र उदाराम के स्थान पर बलदेवराम पुत्रश्री उदाराम दर्ज करावे तथा इसी प्रकार ग्राम तिगरा की सरहद में स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 04 खसरा नम्बर 24, 25, 7 कुल खसरा 03 कुल रकबा 7.0447 तथा ग्राम तिगरा की सरहद में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 11 खसरा नम्बर 06 रकबा 1.2272 हेक्टयर मे प्रार्थीगण का नाम अजय पुत्र सुखाराम के स्थान पर अर्जुनराम पुत्र सुखाराम व बलाराम पुत्र उदाराम के स्थान पर बलदेवराम पुत्रश्री उदाराम संयुक्त खातेदार के रूप में दुरुस्त करने का आदेश फरमावे ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी किय गये। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में पेश रिपोर्ट अनुसार ग्राम खेडी चारणा में खसरा नम्बर 111, 408, 72, 95, 96 प्रार्थीगण का नाम अजय पुत्र सुखाराम के स्थान पर दुरुस्त कर अर्जुनराम पुत्र सुखाराम व बलाराम पुत्र उदाराम के स्थान पर बलदेवराम पुत्र उदाराम तथा ग्राम तिगरा के खसरा नम्बर 24, 25, 7, 06 मे प्रार्थीगण का नाम अजय पुत्र सुखाराम के स्थान पर अर्जुनराम पुत्र सुखाराम व बलाराम पुत्र उदाराम के स्थान पर बलदेवराम पुत्र उदाराम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं।

हमने पक्षकारान् की बहस सुनी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम खेडी चारणा में खसरा नम्बर 111, 408, 72, 95, 96 प्रार्थीगण का नाम अजय पुत्र सुखाराम के स्थान पर दुरुस्त कर अर्जुनराम पुत्र सुखाराम व बलाराम पुत्र उदाराम के स्थान पर बलदेवराम पुत्र उदाराम तथा ग्राम तिगरा के खसरा नम्बर 24, 25, 7, 06 मे प्रार्थीगण का नाम अजय पुत्र सुखाराम के स्थान पर अर्जुनराम पुत्र सुखाराम व बलाराम पुत्र उदाराम के स्थान पर बलदेवराम पुत्र उदाराम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार पीपाड़ शहर ने उक्त खाता दुरूस्ती हेतु अनापत्ति जाहिर की।

हमने पत्रावली, पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज का अवलोकन एवं बहस पक्षकारान पर मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम खेडी चारणा में खसरा नम्बर 111, 408, 72, 95, 96 प्रार्थीगण का नाम अजय पुत्र सुखाराम के स्थान पर दुरुस्त कर अर्जुनराम पुत्र सुखाराम व बलाराम पुत्र उदाराम के स्थान पर बलदेवराम पुत्र उदाराम तथा ग्राम तिगरा के खसरा नम्बर 24, 25, 7, 06 मे प्रार्थीगण का नाम अजय पुत्र सुखाराम के स्थान पर अर्जुनराम पुत्र सुखाराम व बलाराम पुत्र उदाराम के स्थान पर बलदेवराम पुत्र उदाराम राजस्व रेकर्ड में आवश्यक अमलदरामद की कार्यवाही करें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 27/04/2026 को सर-ए-इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर